जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल

तृतीय बोर्ड बैठक दिनांक 26 मई, 2018 का कार्यवृत्त

फोन : 05942- 232800
फैक्स : 05942- 236042
e-mail I.D- secretaryldanainital@rediffmail.com

आज दिनांक 26 मई, 2018 दिन शनिवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की तृतीय बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री राजीव रौतेला, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल। - अध्यक्ष
2. श्री विनोद कुमार सुमन, जिलाधिकारी, नैनीताल/उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल। - उपाध्यक्ष
3. श्री एस0 के0 पन्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून। - सदस्य (पदेन)
4. श्रीमती अनीता आर्या, मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल। (सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि) - सदस्य (पदेन)
5. श्री राजेश्वर प्रसाद, मुख्य अभियन्ता (कुमाऊँ), (प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के प्रतिनिधि) - सदस्य (पदेन)
6. श्री चन्द्र सिंह मर्तोलिया, नगर आुयक्त, हल्द्वानी नैनीताल। - सदस्य (पदेन)

बैठक में अन्य उपस्थितगण-

1. श्री हरबीर सिंह, सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल। - सचिव/संयोजक
2. श्री एस0एम0 श्रीवास्तव, सहयुक्त नियोजक, कुमायूं सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

सर्वप्रथम सचिव द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की तृतीय बोर्ड बैठक में उपस्थित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों का अभिवादन किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तावित बैठक में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में मै0 कृपालु कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा योजित रिट याचिका संख्या (एम/एस)-2045/2014 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2018 के अनुपालन में एजेण्डा बिन्दु संख्या-3 को सचिव द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मद संख्या-3.01

विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

प्राधिकरण बोर्ड की द्वितीय बोर्ड बैठक दिनांक 07 मार्च, 2018 की कार्यवाही कार्यालय के पत्र संख्या-580/नैजिविप्रा/एक-2017/प्र0बो0बै0/2017-18 दिनांक 17 मार्च, 2018 द्वारा बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की गयी। प्रेषित कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी

सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुयी है। विगत बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या-3.02

विगत बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या।

प्राधिकरण की द्वितीय बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन से बोर्ड के सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया गया। उपस्थित सदस्यों द्वारा विगत बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या के अनुपालन के क्रम में की गयी कार्यवाही की पुष्टि को आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या-3.03

मै0 कृपाल कन्शट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.08.2017 द्वारा खुर्पाताल योजना में उनको आवंटित भूखण्ड को सरेण्डर करते हुए जमा की गयी मूल धनराशि रु0 45.00 लाख आवंटी को वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड की जानकारी में लाया गया कि श्री रितेश गुप्ता, डायरेक्टर, मै0 कृपाल कन्शट्रक्शन प्रा0 लि0, दिल्ली द्वारा उनकी जमा धनराशि वापस किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में रिट याचिका संख्या- 2045/2014 दायर की गयी थी। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 10.05.2018 को आदेश पारित किये गये हैं कि- Learned counsel appearing for the respondent has repeatedly sought the time on the pretext that the meeting on the Board would be held shortly.

Now, by way of last opportunity, the Board is directed to hold its meeting within two weeks and to take a final decision which shall be conveyed to the Court at the earliest, failing which, the Commissioner, Nainital shall remain present in person before this Court on the next date of listing along with the records to assist the Court.

List this matter for further orders on 12-06-2018

अतः मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में प्रकरण में दो सप्ताह के अन्दर बोर्ड की बैठक आयोजित कर आवंटी द्वारा जमा धनराशि रु0 45.00 लाख वापस किये जाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेते हुए प्रकरण में सुनवाई हेतु निर्धारित आगामी तिथि दिनांक 12.06.2018 से पूर्व मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाना है जिसके लिये आज की विशेष बोर्ड बैठक आहूत की गयी है।

कार्यवाहीः- बोर्ड में उपस्थित सदस्यों द्वारा सम्बन्धित प्रकरण का गहन अध्ययन किया गया। चूँकि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन से सम्बन्धित है।

अतः आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों से पृथक-पृथक उनके विचारों की पृच्छा की गयी। बैठक में उपस्थित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग, देहरादून द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड की कुल लागत रु0 45.00 लाख के सापेक्ष आवंटन के समय रु0 7.00 लाख जमा किया गया। तदोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश पर आवंटी द्वारा अवशेष धनराशि रु0 38.00 लाख अलग-अलग तीन किस्तों में जमा की गयी। इस प्रकार आवंटी द्वारा भूखण्ड की मूल देय धनराशि रु0 45.00 लाख जमा की गयी है। जबकि अब आवंटी अपने भूखण्ड के आवंटन को समर्पित करते हुए अपनी मूल जमा धनराशि वापस चाह रहा है।

यह भी अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की विगत द्वितीय बोर्ड बैठक में सम्बन्धित प्रकरण में आवंटन की शर्त संख्या-17 के अनुसार जमा मूल धनराशि का 50 प्रतिशत अवमुक्त करते हुए आवंटन निरस्त कर कब्जा प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है जो मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में प्राधिकरण अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2018 को पारित आदेश के क्रम में प्राधिकरण अधिवक्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.05.2018 में उल्लेख किया गया है कि प्राधिकरण, फर्म द्वारा जमा की गयी धनराशि को 100 प्रतिशत अवमुक्त करने पर भी विचार करे।

फर्म द्वारा आवंटन सम्बन्धी शर्तों के अनुपालन के तहत 20 प्रतिशत धनराशि जमा करने तथा अवशेष 80 प्रतिशत धनराशि 06-06 माह के अन्तराल पर 15 प्रतिशत ब्याज सहित 04 वर्षों में जमा करनी थी। फर्म द्वारा रु0 9.00 लाख के सापेक्ष मात्र रू0 7.00 लाख ही दिनांक 06.04.1992 तक जमा किये गये व अवशेष धनराशि ब्याज सहित 04 वर्ष अर्थात वर्ष 1995 तक जमा नहीं की गयी। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 04.09.2014 के क्रम में रु0 38.00 लाख एक सप्ताह में जमा किया जाना था परन्तु आवंटी द्वारा उक्त धनराशि रू0 18.00 लाख, रू0 10.00 लाख एवं रू0 10.00 लाख क्रमशः दिनांक 27.09.2014, 30.01.2015 एवं 22.02.2015 को विलम्ब करते हुये लगभग 06 माह में जमा की गयी है।

उक्त के साथ यह भी अवगत कराया गया कि स्थल पर मै0 कृपालु कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0, मै0 ऐशमार बिल्डर्स एण्ड कनस्ट्रक्शन प्रा0लि0 व मै0 एस0जी0 स्टेट्स प्रा0लि0 के साथ ही 01 अन्य भूखण्ड मै0 शीला कन्स्ट्रक्शन लि0 को आवंटित किया गया था। फर्म द्वारा धनराशि जमा करते हुये व मानचित्र स्वीकृति प्राप्त करते हुये भवन निर्माण कर उपयोग किया जा रहा है। उक्त तीन फर्मों के भूखण्डों से अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को गैस्ट हाउस हेतु विक्रीत भूखण्ड एवं इण्टर कॉलेज

को निःशुल्क आवंटित भूमि पर भी भवन निर्माण कर उपयोग किया जा रहा है। प्राधिकरण के आवंटन शर्त पत्र के शर्त संख्या-19 के अनुसार आवंटियों द्वारा नियमित भुगतान करने पर प्राधिकरण द्वारा बाह्य विकास ले-आउट प्लान के अनुरूप किया जायेगा अंकित है। प्राधिकरण द्वारा स्थल पर पहुँच मार्ग, विद्युत आपूर्ति एवं जलापूर्ति उपलब्ध करायी जा चुकी है।

विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त आवंटी फर्म मै0 कृपालु कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा जमा धनराशि 100 प्रतिशत की वापसी के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि फर्म एवं प्राधिकरण के संयुक्त हस्ताक्षरित आवंटन शर्त पत्र संख्या-517/NLDA/02/ NW/91 दिनांक 19.10.1991 के अनुसार नीलामी में प्लाट संख्या-4 क्षेत्रफल 2000.00 वर्गमीटर ग्रुप हाउसिंग हेतु शर्त संख्या-1, 3, 4 एवं 5 के अनुसार समयबद्ध 20 प्रतिशत धनराशि रु0 9.00 लाख तथा अवशेष 80 प्रतिशत धनराशि 06-06 माह के अन्तराल पर 04 वर्षो में 15 प्रतिशत ब्याज सहित समस्त धनराशि वर्ष 1995 तक जमा नहीं की गयी। फर्म द्वारा मात्र रू0 7.00 लाख ही तत्समय जमा किये गये। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.09.2014 के अनुसार अवशेष रु0 38.00 लाख की धनराशि एक सप्ताह में जमा की जानी थी जो फर्म द्वारा किश्तों में विलम्ब से 06 माह में जमा किया गया। शर्त संख्या-6 के अनुसार भुगतान शैड्यूल के अनुसार भुगतान न होने पर पैनल ब्याज देय है। फर्म आवंटन सम्बन्धी शर्तो को पूर्ण करने में असफल रही है। इसलिए शर्त संख्या-17 के अनुसार प्राधिकरण के नियम एवं शर्तो के पालन न करने तथा आवंटन समर्पण करने के कारण कुल जमा धनराशि का 50 प्रतिशत प्राधिकरण द्वारा काट लिया जायेगा, के अनुसार ही कार्यवाही की जाय।

स्थल पर प्राधिकरण द्वारा अन्य को आवंटित/विक्रीत भूमि पर मानचित्र स्वीकृत कराते हुये भवनों का उपयोग किया जा रहा है। मै0 कृपालु कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 एवं अन्य 02 आवंटी फर्मे ही शर्तो का अनुपालन नहीं कर पायी है। अन्य दो फर्मो के विरुद्ध प्राधिकरण के पूर्ववर्ती निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद प्रदान करने के साथ बैठक विसर्जित की गयी।

उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल

आयुक्त/अध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल